41–(08)–111–2020

पटना में दिनांक–06 मई, 2020 बुधवार को अपराह्न 04:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	शिक्षा विभाग		
1.	आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्यों (शैक्षिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख–रखाव अनुबंध, विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ–सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण आदि) हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू० 12.00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू० 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र–छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
2.	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन स्वीकृत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के कुल 37 (सैंतीस) पदों में से वरीय लेखा पदाधिकारी का 01 (एक) पद, आशुलिपिक का 01 (एक) पद एवं कार्यालय परिचारी के 05 (पाँच) पदों अर्थात कुल 07 (सात) पदों का प्रत्यर्पण की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
3.	श्री विजय कुमार सिंह (आई॰डी॰–3516) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–01, पडरौना के विरूद्ध 'सेवा से बर्खास्तगी' संबंधी निर्गत दण्डादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या–1540, दिनांक 19.07.2018) को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ सं० –13155/2018 में पारित न्यायादेश के आलोक में निरस्त करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	संसदीय कार्य विभाग		
4.	षोडश बिहार विधान सभा के पंचदश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 194वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) एवं 139 (ग) में आंशिक संशोधन करने तथा नियम 43 एवं 139 में उल्लिखित शब्दावली "राज्य सरकार" को "सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के नियुक्ति प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित करने के संबंध में।

5. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

7. बिहार बजट मैनुअल के नियम 100 (ङ) को शिथिल करते हुए प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रूपये) अग्रिम एवं कृषि विभाग, बिहार को कृषि इनपुट अनुदान मद में ₹151.53 करोड़ (एक सौ इक्यावन करोड़ तिरपन लाख रूपये) के आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

7. बिहार आकस्मिकता निधि ₹500.00 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रूप अग्रिम के स्थान पर ₹151.53 करो (एक सौ इक्यावन करोड़ तिरपन ला रूपये) के संशोधन के साथ स्वीकृत।